



१२

न्यायालय राजस्व मण्डल म. पु. ग्रामालियर

पु. कृ.

। २५/ग्रामा/टीकमगढ़/जरारा/१९५७

परसराम पुत्र भैयालाल, उम्र 82 वर्ष,

दीता छोती, निवासी ग्राम मुहारा तह-

जतारा जिला टीकमगढ़ म.पु. --- आवेदक

विलम्ब

महिला हीरा पत्नी श्री रामस्वरूप यादव

निवासी ग्राम वेरवार तह. जतारा जिला टीकमगढ़

२. म. पु. शाखान --- अन्वेदकगण

निगरानी अन्तर्गत द्वारा 50 क., म.पु.भू.रा.सं. 1959 विलम्ब आदेता

दिनांक 30-5-17 द्वारा पारित राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा

तह. जतारा जिला टीकमगढ़, पु.कृ. 10/ग्रा 12/16-17 के निष्ठि

लिन से दुखी होकर।

श्रीमान जी,

संहिता

आवेदक की निवासी तत्त्वो एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

योग्यहै

प्रकरण के संबंधित तथ्य

१. यह फि, अन्वेदिका क्रमांक सीरा वाई द्वारा सर्वे न. ३/५१९ /२/२, ।। जाकर

३/५१९/४/२ रक्वा क्रमांक: ०-३४०, ०-४४६ स्थित ग्राम बंसुड़ा द्वारा का

के सम्बंध में सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र कायालिय राजस्व निरीक्षक

०५५४८ जतारा के समर्था प्रस्तुत किया। जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा

प्रकरण दर्जकर अपने कायालिय पर ही सीमांकन रिपोर्ट एवं प्रिलिङ्ग

व पंचनामा अपने कायालिय पर ही बैठकर तैयार की जिसकी जानकारी

८/२६-५-१७ &

आवेदक को दि. २६-५-१७ को होने के बाद आवेदक द्वारा आपत्ति पत्र

प्रस्तुत किया गया कि मुझे इस सीमांकन में न तो पकाकर बनाया गया

है न। सूचना जारी की गई है इस कारण मेरी आपत्ति पत्र को साझा

3

35

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./२०१७/१९५७

परसराम विरुद्ध महिला हीरा व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२८-०५-२०१९	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल जतारा, तहसील जतारा, जिला- टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक १०/अ-१२/२०१६-१७ में पारित आदेश दिनांक ३०-०५-२०१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा १२९ में किये गये संशोधन वर्ष २०१८ के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला- टीकमगढ़ को दिये गये हैं।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक १५-०७-२०१९ को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।</p> <p style="text-align: right;">(आर.कै.जैन) २४/६/१९१९ सदस्य</p>	